भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3439
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 16 दिसंबर, 2024
25 अग्रहायण,1946 (शक)

एएसआई द्वारा पुरातात्विक अन्वेषण

3439. श्री अनन्त नायक:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने देश में प्राचीन पुरा ऐतिहासिक और मध्यकालीन शिलालेखों, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, शैल उत्कीर्णन की पहचान करने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई पुरातात्विक अन्वेषण या अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इन संरक्षित स्मारकों/स्थलों, जिनमें ओडिशा राज्य और विशेष रूप से केंदुझर जिला शामिल है, में जीर्ण-शीर्ण हो चुकी प्राचीन मूल्यवान वस्तुओं के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं और क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) ओडिशा राज्य में मंदिरों सहित प्राचीन धर्मग्रंथों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई प्राचीन/ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अतिक्रमण के शिकार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक अवशेषों की पहचान और रिकार्ड करने के लिए पूरे देश में नियमित रूप से पुरातात्विक अन्वेषण करता है।

(ख) और (ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने संरक्षणाधीन स्मारकों का अनुरक्षण करता है। इसमें ओडिशा राज्य के केंदुझर जिले के सीताभांजी, दगुआपासी गांवों में स्थानीय तौर पर रावण छाया के नाम से ज्ञात शैल चित्रकारी और अन्य प्राचीन स्मारक और अवशेषों सहित भारत की इन सांस्कृतिक धरोहरों की दीर्घ आयु और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए नेमी संरक्षण, जीर्णोद्धार और संरक्षा संबंधी कार्य शामिल हैं।

(घ) और (ङ): ओडिशा राज्य में स्मारकों और स्थलों में अतिक्रमण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना **अनुबंध** में दी गई है।

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में अतिक्रमण के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुलिस को शिकायत करता है। अतिक्रमण करने वाले को अतिक्रमण हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करता है और यदि अतिक्रमण हटाया नहीं जाता है तो ध्वस्तीकरण के आदेश जारी करता है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 16.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ओडिशा राज्य में अतिक्रमण के अधीन संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र की सूची

क्रम सं.	स्मारक और स्थल का नाम	स्थान	ज़िला	अतिक्रमण की स्वरूप	हटाने के लिए की गई कार्रवाई
1.	स्थानीय रूप से सारनगढ़ के नाम से ज्ञात चुरांगा गढ़ किला	दाधापाटणा (चुरानगढ़)	कटक और खुर्दा	राज्य सरकार एवं जनता द्वारा संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र के भीतर आधुनिक भवनों का निर्माण	जिला कलेक्टर को पत्र एवं संबंधितों को कारण बताओ नोटिस
2.	बौद्ध मंदिरों और प्रतिमाओं के अवशेष	नलितगिरि (ललितिगिरि)	कटक	संरक्षित और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में जनता द्वारा आधुनिक इमारतों और मंदिर का निर्माण	जिला कलेक्टर को पत्र
3.	ध्वस्त किला	चौद्वार (अग्रहाट , बंदलास , छत्तीसा , गोविंदज्यू पटना)	कटक	राज्य सरकार एवं जनता द्वारा संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र के भीतर आधुनिक भवनों का निर्माण	जिला कलेक्टर को पत्र एवं संबंधित को कारण बताओ नोटिस
4.	पुरानी पहाड़ी पर कई मूल्यवान मूर्तियां और चित्र	रत्नागिरि	जाजपुर	संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र के भीतर जनता द्वारा आधुनिक भवनों का निर्माण	संबंधित को निर्माण रूकवाने की सूचना
5.	खंडगिरि और उदयगिरि गुफाएं	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	संरक्षित क्षेत्र के भीतर निर्माण	जारी किए गए नोटिस
6.	शिशुपालगढ़	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	संरक्षित क्षेत्र के भीतर निर्माण	अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए

*****